अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

169/21/225 लाला v/s श्रीमती लाडा देवी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2021/169 श्री सुमित जैन श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
10.8.21	लाला बनाम श्री मति लाडा देवी वगैरह पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 05.02.2018 को इस आशय से पेश किया था कि अपील में वर्णित आराजियात का मूल खातेदार जीवन वल्द कज्जा उर्फ बज्जा गुर्जर था वाद में जीवन पुत्र कज्जा की वंशावली दर्शाते हुए कथन किया कि मूल खातेदार कज्जा उर्फ बज्जा के जीवन काल में ही अपीलांट के पिता मेंवा का देहांत हो गया था तत समय अपीलांट की आयु 2 वर्ष की थी ततपश्चात अपीलांट के दादा जीवन के देहांत के उपरान्त रेस्पोडेन्ट के पूर्वज अम्बा व वीरमा ने उक्त वास्तविक सजरे को प्रकट किये बिना फरजी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तथा मेवा को जीवन का पुत्र होने के तथ्य छुपाते हुए बाला-बाला जीवन की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात को राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करवा ली रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को उसके हक व हिस्से से वंचित करने की नियत से वाद वर्णित आराजियात में से कुछ हिस्से का बेचान अन्यत्र को कर दिया जबकि वादग्रस्त आराजियात अपीलांट की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें अपीलांट का जन्म से ही हक व अधिकार है, किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा मेवा के विधिक वारिसानो कि जांच किये बिना अम्बा एवं बिरमा के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर सम्पूर्ण आराजी को बिना विभाजन कराये बेचान कर अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने में आमादा है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे अपीलांट को उसके हक एवं अधिकार की आराजी से बेदखल नही करे एवं उक्त आराजियात का अन्यत्र बेचान/हस्तांरण या अन्य कहीं खुर्द बुर्द नहीं करे, वादग्रस्त आराजियात की मौके एवं रिकॉर्ड की आज की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें। बहस में आगे विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में लगभग 30 से 35 तारिख पेशीयां तब्दील हो चुकी है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये गये है। जबकि माननीय राजस्व मंडल ने अपने अनेक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वह उनके समक्ष प्रस्तुत वाद की विषय वस्तु को अंतिम आदेश तक संरक्षित रखने हेतु विवादित आराजियात की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बाबत् आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस सिद्धान्त को नजर अंदाज कर प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कि जो विधि विरूद्ध है अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को ताफैसला अपील अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमं दिनांक 05.02.2018 को पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में लगभग 35 पेशिया तब्दील हो चुकी है किन्तु पत्रावली अभी भी कुछ अप्रर्थीगण की तलबी हेतु विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

169/2021/225 लाला वि. श्रीमती लाडा देवी

तारीख — पेशी	2021/169 श्री सुमित जैन — हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर — श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
लगातार	212 राज0 काश्त0अधि0 विचाराधीन है जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा कोई अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की तलबी शीघ्रातीशीघ्र पूर्ण करा कर उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र पर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित असवर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को शीघ्रातिशीघ्र निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज दिनांक 10.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । (मेघना चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	1385 18.8.21 निर्णय प्रति 10.8.21